कार्यालय प्राचार्य

नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर (छ0ग0)

क्रमांक/ 62 /2026 आरा, दिनांक 21-08-2026

:: अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन ::

नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर (छ0ग0) के सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूध्द अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 01/09/2026 के सायं 5 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोटः– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, महाविद्यालय की वेबसाईट https://govtcollegeaara.in/ मे अपलोड किया गया है जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

21/08/2026

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय,आरा
जिला जशपुर (छ0ग0)

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय

कार्यालय प्राचार्य

नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर (छ0ग0)

महाविद्यालय की वेबसाईट–https://govtcollegeaara.in/

क्रमांक / 63 / 2026 आरा, दिनांक 21.08.2026

:: अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन ::

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्र ESTB–2035 / 637 / 2026 / RAJPATRIT STHAPNA नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18–08–2026 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक–ESTB–1027 / 1216 / 2025 / 38–1 दिनांक 18–08–2026 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18–08–2026 के अनुसार नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला–जशपुर (छ.ग.) में **विषय–समाजशास्त्र** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याताओं / अतिथि शिक्षण सहायक के आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 01/09/2026 को सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते या स्वयं (कार्यालय से पावती प्राप्त कर सकते है) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशेत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. **आयु सीमा** – अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता भर्ती नियमों के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते है, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय / पदों का विवरण

क्रमांक	विषय का नाम	रिक्त पद एवं संख्या
1	समाजशास्त्र	(सहायक प्राध्यापक पद के विरूध्द) 01 पद

टीप – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूध्द कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त की जावेगी।

शर्ते :–

1. आवेदन साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं,स्नातक,स्नातकोत्तर,सेट / नेट,एम.फिल / पी.एच.डी.,अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 01/09/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वंय उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार, अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 03/09/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालय की वेबसाईट–में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 08/09/26 तक होगी।

6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 10/09/26 को दिया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूध्द पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध्दशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।

10. **मानदेयः—**

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है :—

- अतिथि व्याख्याता मानदेय — 2000/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/—)
- अतिथि शिक्षण सहायक — 1400/— प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/—)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता— प्राचार्य, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा ठुठीअम्बा रोड ग्राम—आरा, तहसील—जशपुर, जिला जशपुर छ.ग. पिन—496331 एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त की जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ—साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियों, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो मे ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों मे अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

21/08/2026

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय,आरा
जिला जशपुर (छ0ग0)

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक/ 64 /2026

आरा, दिनांक 21/08/2026

प्रतिलिपि :—

1 आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
2 कलेक्टर,जिला—जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
3 जिला रोजगार अधिकारी जशपुरनगर जिला—जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ।
4 अन्य शासकीय महाविद्यालय...को सूचनार्थ।
5 एन0आई0सी0जशपुर कृपया अपने वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

21/08/2026

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय,आरा
जिला जशपुर (छ0ग0)

प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शास.महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ.ग.)